रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-28

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 1975/आषाढ़ 26, 1897
No. 201] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 1975/ASADHA 26, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July 1975

G.S.R. 415(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby make the following regulations to amend the Import of Cotton into India Regulations, 1972, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Import of Cotton into India (Amendment) Regulations, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Import of Cotton into India Regulation, 1972, in clause (a) of sub-paragraph (i) of paragraph 3, after the words "it shall be sufficient to furnish information not less than ten days before the arrival of the ship at Bombay, Madras, Calcutta, Cochin, Tuticorin or Bhavnagar" occurring at the end, the words "and provided also that where the cotton is loaded for Bombay, Madras, Calcutta, Cochin, Tuticorin or Bhavnagar at Karachi Port, it shall be sufficient to furnish information not less than seven days before the arrival of the ship at Bombay, Madras, Calcutta, Cochin, Tuticorin and Bhavnagar" shall be inserted.

[No. 8-2/75-PPS]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 415(अ).—हानिकारक कीट तथा कृषि अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत में कपास का आयात सम्बन्धी नियम, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम भारत में कपास का आयात (संशोधन) सम्बन्धी नियम, 1975 होगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत में कपास का आयात सम्बन्धी नियम, 1972 के पैरा 3 के उप पैरा (i) की धारा (क) में अन्त में आने वाले 'बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, तूतीकोरीन अथवा भावनगर में जलयान के पहुंचने के कम से कम 10 दिन पहले सूचना देना पर्याप्त होगा' शब्दों के बाद 'बशर्ते कि जब करांची बन्दरगाह पर बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, तूतीकोरीन अथवा भावनगर के लिए कपास की लदाई की जाती हो तो बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, तूतीकोरीन और भावनगर में जलयानों के पहुंचने के कम से कम सात दिन पहले सूचना देना पर्याप्त होगा' शब्द जोड़े जायेंगे ।

[सं० 8-2/75-पी० पी० एस०]

अप्पा० आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975